

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10117 / 6700
सेवा में

दिनांक : 23-2-2022

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.4760 ha. (instead of 0.8066 ha.) forest land for laying of 250mm/150mm/100mm DI pipeline for clear water from Basunda Booster to Daboda, Basunda Booster to Khandewala, Khandewala to Jatola, Fazilpur Badli Taznagar, Faridpur to Dhani Ahiran via Karola, Gugana to Shekpur Majri & Farukh Nagar road to Garhi Nathe Khan, under Forest Division and District Gurugram, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Water/144418/2021

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 9-HRB180/2021-CHA दिनांक 21.12.2021 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम के पत्र क्रमांक 1418-सी दिनांक 08.02.2022 द्वारा भेजा गया मद्दाईज उत्तर जो कि स्वतः स्पष्ट है आपको संलग्न प्रेषित है तथा मांगी गई सूचना ऑनलाईन पार्ट-II पर भी अपलोड कर दी गई है ।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज-I स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न/उपरोक्त ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

Ja
23/2/2022

115

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष-0124-2322057

क्रमांक: 1418-C
सेवा में

दिनांक: 08/02/22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सी-18, वन भवन, सैक्टर-6,
पंचकूला, हरियाणा।

विषय:- Diversion of 0.4760 Ha. of forest land for lying of water pipeline for clear water from Basunda Booster to Daboda, Basunda Booster to Khandewla, Khandewla to Jatola, Fazilpur Badli to Tajnagar, Faridpur to Dhani Ahiran via Karola & Farrukhnagar road to Garhi Nathe Khan., under Forest Division & Distt. Gurugram. (Proposal No. FP/HR/Water/144418/2021)

सन्दर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक 9-HRB180/2021-CHA दिनांक 21.12.2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भांकित पत्र द्वारा मांगी गई सूचना मद वाईज निम्न प्रकार से है:-

1. प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आनलाईन पोर्टल में ऐरिया संशोधित कर दिया गया है, पार्ट-1 की प्रति पत्र के साथ आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।
2. प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा अधिकृत पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाकर आनलाईन पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
3. मद संख्या 3 की सूचना वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम के कार्यालय द्वारा भेजी जानी है।
4. 2180 चौधे व 50 अतिरिक्त पौधों की संशोधित प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम भारत सरकार के पत्र दिनांक 5-3/2011-FC(VOI-I) dated 06.01.2022 द्वारा जारी दरों अनुसार नवीनतम एन.पी.वी. के रेट अनुसार बनाकर भेजी जाती है। (Rate are calculated for ECO-III dense forest) तथा आनलाईन भी अपलोड कर दी गई है।
5. संशोधित प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम अनुसार भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र, पत्र के साथ भेजा जाता है।
6. सभी संशोधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।
7. संशोधित ऐरिया का ले-आउट प्लान पत्र के साथ आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाता है।

संलग्न/उपरोक्त

पृ० क्रमांक/ 1419-C

दिनांक/08/02/22

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम को नवीनतम सी.ए. स्कीम तथा संशोधित दस्तावेजों सहित आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

[Signature]
उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।
08/02/2022

[Signature]
उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।
08/02/2022